पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2022 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया। यह सत्र 9 फरवरी, 2022 से प्रारंभ हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने विधानसभा के सप्तम सत्र में सदन में किये गए महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया।
- इस सत्र में कुल 25 बैठकें हुईं। इस सत्र की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 171 घंटे 19 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली।
- सदस्यों से कुल 8336 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3785 एवं अतारांकित प्रश्न 4547 हैं। कुल 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 333 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गए। इसी तरह 498 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत कुल 351 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 55 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत 288 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 229 विशेष उल्लेख की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गई/पढ़ी हुई मानी गई तथा विशेष उल्लेख की 59 सूचनाएँ सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण लैप्स हुईं।
- प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 1076 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गए। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिये 1061 प्रस्ताव प्रेषित किये गए।
- सत्र के अंतिम दिवस में सर्वाधिक 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध किये गए। लोक महत्त्व के 3 विषयों पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गए।
- प्रक्रिया के नियम-119 के अंतर्गत 3 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। प्रक्रिया के नियम-127 के अंतर्गत 8 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं।
- राज्यपाल की ओर से 9 फरवरी, 2022 को सदन में अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिसमें 21 सदस्यों ने भाग लिया। 15 फरवरी, 2022 को अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।
- विभागों से संबंधित 12 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हुई। अनुदान की मांगों पर 2960 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 2644 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गए एवं 316 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।
- वर्तमान सत्र में कुल 15 विधेयक पुरःस्थापित कर 14 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 1 विधेयक राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया। विधेयकों पर सदस्यों से कुल 279 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 262 संशोधन स्वीकार किये गए।
- वर्तमान सत्र में कुल 17 गैर-सरकारी संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 16 ग्राह्य किए गये, शलाका द्वारा 5 गैर-सरकारी संकल्प सूचीबद्ध किये गए तथा 1 अग्राह्य किया गया।
- समस्त सूचीबद्ध 5 गैर-सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत किये गए। उक्त संकल्प में से सदस्य अशोक लाहोटी, राजेंद्र राठौड़ एवं बिहारीलाल द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 25 मार्च को सदन में चर्चा हुई, जिसमें 12 सदस्यों ने भाग लिया।
- सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति द्वारा वर्तमान सत्र में वर्ष 2021 के लिये सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बाबूलाल (झाडोल) एवं मंजू देवी का सर्वसम्मति से चयन किया गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/seventh-session-of-the-fifteenth-assembly-adjourned-indefinitely